न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2018/00039

उनवान

1. बिरजी पुत्र रघुवीर (मृतक)
   1/1. रामकुमार } पुत्र
   1/2. माधो सिंह } स्व0 बिरजी जाति ब्राहम्ण नि0 महलपुर काछी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   1/3. श्रीमती हरभेजी पत्नी }

.....अपीलांट।

बनाम

1. महेश
2. ओमप्रकाश } पुत्र श्यामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महलपुर काछी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
3. सतीश
4. रामनिवास
5. श्रीमती रामश्री पुत्री श्यामलाल पत्नी लक्ष्मीकांत जाति ब्राहम्ण निवासी झीलरा तहसील खेरागढ जिला आगरा यू0पी0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दि0 29.11.2017 प्र.सं. 178/2005 उनवानी बिरजी बनाम रामचरन।

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एवं हेमराज शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री गंगाराम शर्मा वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–24.12.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 28 रकवा 36–05 बीघा वाके ग्राम महलपुर काछी तहसील रूपवास में स्थित है। वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो0 एक ही पूर्वज की सन्ताने हैं। धनीराम के नाहरिया व राम सिंह दोनों सगे भाई थे। जिसमें नाहरिया की लाइन में प्रतिवादीगण रैस्पो0 तथा राम सिंह की लाईन में वादी अपीलाण्ट मौजूद हैं। अन्य सभी पूर्वज फौत हो चुके हैं। उक्त विवादित आराजी में से नाहरिया की संतान को 1/2 हिस्सा तथा राम सिंह की संतान को 1/2

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन

हिस्सा, राम सिंह की संतान में सिर्फ वादी अपीलाण्ट तथा बडा भाई प्रतिवादी संख्या 03 जो दौराने दावा लाबल्द विला संतान फौत हो चुका है तथा नाहरिया की औलाद में सिर्फ प्रतिवादी संख्या 01 जो दौराने दावा लाबल्द विला संतान फौत हो चुका है एवं प्रतिवादी रैस्पो0 हैं। मुरली की पत्नि बसन्ती का दाखिला खारिज खसरा नम्बर 139 दिनांक 14.02.1993 रघुवीर पिता वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 व प्रभु पिता प्रतिवादी वहिस्सा बराबर निस्फ परसराम व डालू वहिस्सा बराबर निस्फ स्वीकार हो जाने के पश्चात् वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 का उक्त विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा था। परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन हो रहा है वह वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 व प्रतिवादी रैस्पो0 के हिससे के अनुसार नहीं हो रहा है। उक्त गलत इंद्राजो को दुरूस्त कराने की कहा तो प्रतिवादी रैस्पो0 साफ इंकारी हो गये। अतः दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी संख्या 03 वहिस्सा बराबर के 13/24 के व प्रतिवादी रैस्पो0 वहिस्सा बराबर 11/24 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन का दावा था। जिसमें अपीलाण्ट ने हिस्सेनुसार विभाजन चाहा गया था। विवादित आराजी पूर्वजो की खुदकाश्त की आराजी रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 लगायत 03 को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आधार पर खारिज किया है। जबकि अपीलाण्ट ने दावा धारा 88 व 53 का पेश किया था। अपीलाण्ट ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर कोई गौर नहीं किया। अपीलाण्ट पट्टेदार/किरायेदार नहीं थे। अतः अपीलाण्ट पर धारा 15 लागू ही नहीं होती। अपीलाण्ट पर जागीदार/विस्वेदार उन्मूलन एक्ट 1959 लागू होता है। जमाबन्दी संवत 2010–13 में विवादित आराजी खुदकाश्त में दर्ज रही है। जिसमें अपीलाण्ट 1/4 के हिस्सेदार हैं। जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट की धारा 29 जो खुदकाश्त है। वह भूमि के मालिक रहेंगें तथा खातेदार के सामन समस्त अधिकार होंगें। इसी प्रकार धारा 29(2) यदि खुदकाश्त एक से अधिक हैं तो वह सहमालिक कहलायेगें। हिन्दू दत्तक एक्ट की धारा 12 अनुसार गोद लेने की दिनांक से दत्तक पिता के यहॉ समस्त अधिकार प्राप्त हो जायेंगें। एक सहखातेदार पैतृक भूमि में जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है। लडकियों को हक 1956 के बाद मिले हैं। अपीलाण्ट के अधिकार तो उससे पहले के हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। आरआरडी 1984 पेज 42, 565, 863 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। जमाबन्दी संवत

भू प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी

2010–13 में ही रघुवीर दर्ज है। अतः अपीलाण्ट संवत 2010 से पहले ही गोद चले गये, तो संवत 2010 के बाद उन्हें विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलाण्ट ने सजरा भी गलत पेश किया है। राम सिंह व नाहरिया अलग–अलग हैं। अर्थात सगे भाई नहीं है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकारो को (बहनो व परसराम, डालु) पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। जबकि सभी खातेदारो को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त भी नहीं है। मौखिक साक्ष्य, बिना दस्तावेजी साक्ष्य कोई महत्व नहीं रखती। अपीलाण्ट व रैस्पो0 एक ही पूर्वज की संताने नहीं है। अपीलाण्ट का पिता रघुवीर, गंगाधर के यहाँ गोद चला गया था एवं गोद जाने के बाद हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अपीलाण्ट के पिता रघुवीर के उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में अधिकार समाप्त हो गये। अपीलाण्ट विवादित आराजी को राम सिंह व नाहरिया दोनों भाईयो की छोडी हुई बताते हैं। परन्तु अपीलाण्ट ने उनके पिता का नाम अंकित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों पर गौर करते हुये तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2017 पेज 145, 2021(3) पेज 933, 2010 पेज 376, आरआरडी 1989 पेज 102, 2014 पेज 102, 2002 पेज 589, 2008 पेज 28, आरबीजे 2018 पेज 209, 2019 पेज 759, आरआरटी 2016(2) पेज 944, 2011(1) पेज 612, 2013(2) पेज 1096, 2013(1) पेज 85, 2013(2) पेज 1060, सीसीसी 2012(3) पेज 93, 2023(3) पेज 123 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु चार तनकियाँ निर्धारित की गयी हैं। जिनमें तनकी संख्या 01 लगायत 03 महत्वपूर्ण तनकी हैं। वादी अपीलाण्ट का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 28 रकवा 36 बीघा 05 विस्वा राम सिंह व नाहरिया की छोडी हुयी आराजी है। जिसमें दोनो बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख में जो अंकन हो रहे हैं वह वादी अपीलाण्ट के खिलाफ हैं। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 3, 6 से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का पिता रघुवीर, गंगाधर के यहा गोद चला गया था। विधि अनुसार गोद जाने के बाद हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अनुसार अपीलाण्ट के पिता रघुवीर के उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में सारे अधिकार समाप्त हो गये। अतः अपीलाण्ट के पिता रघुवीर को नाहरिया व राम सिंह की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को अपने पूर्वज राम सिंह व नाहरिया दोनों भाईयो की छोडी हुयी बताया है। लेकिन उनके पिता का नाम अंकित नहीं किया है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने जिरह में अपनी दो सगी बहन रामदेई व ननगी को बताया है। परन्तु उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। इसके अतिरिक्त डालू व परसराम के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया गया है। अतः दावा में आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने का भी दोष है। वादी अपीलाण्ट के कथनानुसार संवत 2012 में भी वादी अपीलाण्ट के किसी भी पूर्वज का कब्जा व काश्त नही रही। क्योंकि जमाबन्दी संवत 2012 के कॉलम संख्या 05 में वादी अपीलाण्ट के पिता रघुवीर की केवल खसरा नम्बर 31, 58, 97 व 195 पर ही खुद काश्त दर्ज है एवं रैस्पो0 के पिता स्व0 श्री प्रभू की 26 बीघा 15 विस्वा पर काश्त दर्ज है। जिस पर सन्1959 यानि संवत 2016 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खुद काश्त आसामियों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
[illegible] (राज.)

जिसका इंद्राज संवत 2018 की जमाबंदी में दर्ज है एवं तभी से वादी अपीलाण्ट व रैस्पो0 के अलग–अलग कुर्रे बने हुये हैं तथा उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी पर नाहरिया से लेकर गंगाधर का कोई नाम अंकित नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलाण्ट ने स्वयं अपनी जिरह में विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा स्वीकार किया है। अतः कब्जे के अभाव में भी वादी अपीलाण्ट को विवादित आराजी में कोई स्वत्व एवं दावा चलने योग्य नहीं रहता है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी अपीलाण्ट अपने दावे को सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं एवं दावा भी स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य/मौखिक साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर